न्यायालय .....

बनाम .....

मुकदमा नं. .....

17/3/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 2/4/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

2.4.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण स्वयं के का- का आयाम बिलवार गई। लेकिन न्यायालय समय तक हाजिर नहीं आए। पूरा पाठ आदेश पढ़ाकी व आदेश हाजरी में लागू किया जा चुका है। अतः अधि. आ. पत्र अ. धारा 212 RT ACT के अन्तर्गत चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः। आ. पत्र अ. धारा 212 RT Act प्रार्थीगण आदेश पढ़ाकी व आदेश हाजरी में लागू किया जाता है। पत्रावली पक्षकार युगल हेतु पाठ दायरी डायरी स्थानान्तरण हो। दिनांक आगे दिनांक 2.4.25 को चुकी न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर